

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरणट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून
पंत्राक ३३३ /विकास कार्य/ नि०सू०/ २०२३-२४ दिनांक १०।७।२०२३
ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी०एस०टी० देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर नीचे वर्णित एक कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टीटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक ०२.०८.२०२३ को अपरान्ह २.०० बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त तकनीकी बिड को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक ०२.०८.२०२३ को सांय २.०० बजे उपरान्त उपरिस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढ़त) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रु० ५,९००/- (जी०एस०टी० सहित) की धनराशि का पे—आर्डर जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म०द०वि०प्रा० के नाम बन्धक होगी, एवं शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति एक सील बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ दिनांक ०१.०८.२०२२ को अपरान्ह २.०० बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ०डी०आर० व निविदा मूल्य का ड्राएट व अन्य अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी० पी० डब्लू०-९ एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परकोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या ११९७/II (२)/०७-७५(सामान्य)/II दिनांक २४-२-२०१४ एवं अन्य के अनुसार होगी। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता ९० दिन मान्य रहेगी।

क्र०	कार्य का नाम	अनु० लागत (लाख)	धरोहर राशि	समय (माहों में)
१	हरिद्वार वाईपास पर रिवर फन्ट डेवलपमेन्ट की भूमि पर प्रस्तावित आढ़त बाजार की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	३३१.७२	६,६३,५००.००	०६

अन्य नियम एवं शर्तें

- निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :—
- निविदा वैधता के सम्बन्ध में रु० १००.०० के स्टाम्प पेपर, एवं रु० १.०० के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज़ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
- सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में रु० १००.०० के स्टाम्प पर एवं रु० १.०० के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज़ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
- लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में रु० १००.०० के स्टाम्प पेपर पर एवं रु० १.०० के साथ नोटराइज़ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

- निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एवं ₹0 1.00 के साथ रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
- No Dues के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एवं ₹0 1.00 के साथ रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
(जी०एस०टी०, आई०टी० व अन्य विभागों के सम्बन्ध में)६
- 2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 770/iii(2) 17-20(सामान्य) 2011 टी०सी० दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोर्मेंस सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
- 3. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 4. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैंकसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1—सचिव, म०द०वि०प्राधि०देहरादून।
- 2—मुख्य लेखाधिकारी म०द०वि०प्राधिकरण देहरादून।
- 3—अधीक्षण अभियन्ता, म०द०वि०प्राधिकरण, देहरादून।
- 4—नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5—नाजिर म०द०वि०प्राधि० को इस आवय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।
- 6—आई०टी० अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बैंकसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 7—प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 8—सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।